National Capital Region Planning Board

Tax Exemption Notification by NCR Constituent States for Contract Carriage Vehicles Registered in NCR

Sl. No.	Description	Page No.
1.	Tax Exemption Notification by Government of Haryana	2-3
2.	Tax Exemption Notification by Government of Rajasthan	4
3.	Tax Exemption Notification by Government of UP	5-16
4.	Request Letter to Principal Secretary (Transport), UP, Haryana and Rajasthan for Publicizing Tax Exemption Notification	17
5.	Request Letter to Principal Secretary (Transport), GNCT-Delhi for Publicizing Tax Exemption Notification	18

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Order

The 11th November, 2009

No. S. O. 93/P.A. 16/1952/S. 10/2009.—Whereas, the Governor of Haryana is of the opinion that in view of the reciprocal common transport agreement among the Governments of Haryana, Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh executed on the 14th October, 2008 and published *vide* Haryana Government, Transport Department, notification No. S.O. 119/C.A. 59/1988/S. 88/2008, dated the 16th December, 2008, the owner of Motor Cabs/Taxis/Auto-rickshaws holding non-temporary permits and using clean fuels (CNG) conforming to prevailing EURO norms, registered in the National Capital Territory of Delhi, Rajasthan and Uttar Pradesh and plying in Haryana sub-region of National Capital Region should be granted exemption from payment of all taxes to promote public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 10 of the Punjab Passengers and Goods Taxation Act, 1952 (Act 16 of 1952), the Governor of Haryana hereby exempts the owners of above mentioned vehicles covered under the above said notification dated the 16th December, 2008, and plying in the Haryana sub-region of National Capital Region from the operation of the provisions of section 3 of the said Act to the extent of passenger tax on fare.

RAMENDRA JAKHU,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 9th November, 2009]

HARYANA GOVERNMENT

TRANSPORT DEPARTMENT

Order

The 9th November, 2009

No. 13/11/2009-6TI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 13 of the Punjab Motor Vehicles Taxation Act, 1924 (Punjab Act IV of 1924), and in supersession of Haryana Government, Transport Department, Order No. 13/90/2001-2T(1), dated the 7th September, 2001, the Governor of Haryana hereby exempts the owners of all Taxis/Motor Cab/Auto Rickshaws used exclusively for local transportation in the area of National Capital Region (NCR) falling within the State of Haryana *i.e.* Districts of Gurgaon, Faridabad, Mewat, Sonepat, Panipat, Jhajjar, Rohtak and Rewari and which are duly registered as per provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), in Uttar Pradesh, Rajasthan and National Capital Territory of Delhi and which have legally valid permits for carriage of passengers on Contract in the National Capital Region falling in the State of Haryana from the liability to pay the tax and also excludes such vehicles from the operation of Section 3 of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SAMIR MATHUR,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Transport Department.

46439—C.S.—H.G.P., Chd.

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :एफ 6 (208)/परि/कर/मु./08 जयपुर, दिनांकः–02.12.2008

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय रखते हुए कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है, एतद् द्वारा क्षेत्रीय योजना–2021 के अनुच्छेद 2.1 (समय–समय पर संशोधित) में परिभाषित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य उप–क्षेत्रों में पंजीकृत एवं उन उप–क्षेत्रों से जारी गैर–अस्थाई संविदा अनुज्ञापत्र, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए जारी किये गये हैं, पर संचालित राजस्थान राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले ऑटोरिक्शा एवं मोटर कैब वाहनों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय कर के भुगतान को, मोटर यान अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम, 59, 1988) की धारा 88 की उप–धारा (6) के अन्तर्गत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश राज्यों के मध्य सामूहिक आपसी परिवहन करार की अधिसूचना जारी होने की तिथि से इस शर्त के साथ परिहार करती है कि उक्त वाहनों का प्रयोग केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही किया जाएगा एवं यह छूट उन वाहनों को देय होगी जो सी.एन.जी. एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उप–क्षेत्रों में प्रचलित यूरो मापदण्ड की पालना करते हों।

3183
02.12.08

राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश यादव)
उप शासन सचिव (मु.)
जयपुर
परिवहन विभाग
राज. जयपुर

क्रमांक :एफ 6 (208)/परि/कर/मु./08

प्रतिलिपिः– निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 02.12.2008 को प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करें।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान।
3. निजी सचिव, यातायात मंत्री जी, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव (गृह एवं यातायात), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं पदेन शासन सचिव।
7. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
9. विधि एवं न्यायिक विभाग, जयपुर।
10. समस्त मुख्यालय अधिकारी, परिवहन विभाग, जयपुर।
11. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की वेबसाइट की अपडेटिंग हेतु।
12. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
13. समस्त प्रभारी, कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग, राजस्थान।

उप शासन सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राज जयपुर

क्रम-संख्या–295

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू / एन०पी० / 91 / 2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2009
श्रावण 29, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 1184/79-वि-1–09-1(क)13-2009
लखनऊ, 20 अगस्त, 2009

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 19 अगस्त 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और आरम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, —

(1) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

(क) "अतिरिक्त कर" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन आरोपित कर से है;

(2) खण्ड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

(ञ) "तिमाही" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर मास के प्रथम दिवस को प्रारम्भ होने वाले तीन कैलेण्डर मास की अवधि से है;

(3) खण्ड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

(ट—1) "विशेष कर" का तात्पर्य धारा 4-क के अधीन अधिरोपित कर से है;

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "किसी शैक्षिक, चैकित्सक, परोपकारी या अन्य लोक प्रयोजन को अग्रसर करने में चलने वाले किसी मोटर यान या मोटर यानों" के स्थान पर शब्द "मोटर यानों" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में —

(एक) शब्द "जैसा कि प्रथम अनुसूची के भाग 'ख' में विनिर्दिष्ट है" के स्थान पर शब्द "जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये" रख दिये जायेंगे।

(दो) विद्यमान परन्तुकों के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु किसी पुराने मोटर यान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटर यान पर लागू वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, भुगतान किया जा सकता है।"

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"(1—क) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय किसी तीन पहिया मोटर टैक्सी और 3000 किलोग्राम से अनधिक भार वाले माल वाहन का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटर यान के सम्बन्ध में ऐसी दर पर, जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, वार्षिक कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में वार्षिक कर के एवज में एक बार देय कर की ऐसी धनराशि जैसी राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, का भुगतान किया जा सकेगा।"

(ग) उपधारा (2) और (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

(2) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उपधारा (1-क) में विनिर्दिष्ट वाहनों से भिन्न किसी माल वाहन, निर्माण उपस्कर यानों, विशेष रूप से डिजायन किये गये यान, मोटर टैक्सी (तीन पहिया मोटर टैक्सी से भिन्न), बड़ी टैक्सी और राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सार्वजनिक सेवा वाले वाहनों का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे यान के सम्बन्ध में लागू दर पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, उस वाहन के सम्बन्ध में तिमाही कर का भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में तिमाही कर के बजाय, ऐसी दर पर वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, देय हो सकता है;

(घ) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(2-क) इस अधिनियम या उसके अधीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, उपधारा (1-क) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट यानों से भिन्न किसी सार्वजनिक यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसी दर पर मासिक कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा उसके सम्बन्ध में अधिसूचित किया जाये, भुगतान न कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन किसी मोटर यान के सम्बन्ध में मासिक कर के बजाय तिमाही या वार्षिक कर, ऐसी दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये, देय हो सकता है।

(2-ख) जहां सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तर प्रदेश सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहां उपधारा (1-ख) या धारा 2 के अधीन कर का उद्ग्रहण उक्त उपधारों में किसी बात के होते हुये भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा :

परन्तु इस प्रकार उद्गृहीत कर उस कर से अधिक नहीं होगा जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उद्गृहीत होता।

(3) जहां किसी परिवहन यान से भिन्न कोई मोटर यान परिवहन यान के रूप में चलता हुआ पाया जाये, उसके लिये ऐसा कर जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, देय होगा।"

(ङ) उपधारा (4) को निकाल दिया जायेगा।

5—धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :— धारा 4-क का बढ़ाया जाना

"4-क—इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विशेष अवसरों यथा मेला और धार्मिक समागमों पर यात्रियों की सवारी के लिये या बारातों, पर्यटक समूहों या ऐसे अन्य आरक्षित समूहों जिन्हें किसी भी नाम से पुकारा जाये, को ले जाने के लिये जारी अस्थायी परमिट द्वारा आच्छादित किसी सार्वजनिक सेवा यान का उत्तर प्रदेश में प्रचालन धारा 4 के अधीन कर के साथ-साथ तब तक नहीं किया जायेगा जब तक राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित दर पर तत्सम्बन्ध में विशेष कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

कतिपय यानों के सम्बन्ध में विशेष कर का उद्ग्रहण

धारा 5 का निकाला जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 5 निकाल दी जायेगी।

धारा 6 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :—

"6—इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा स्वामित्व प्राप्त या नियंत्रित उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक सेवा यान का प्रचालन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक धारा 4 के अधीन संदेय कर के साथ-साथ तत्सम्बन्ध में अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता है।"

धारा 7 का निकाला जाना

8—मूल अधिनियम की धारा 7 निकाल दी जायेगी।

धारा 8 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी अर्थात् :—

"(1) किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त होने से पीड़ित यात्रियों या अन्य व्यक्तियों को या ऐसे यात्रियों या अन्य व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को राहत देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार एक निधि स्थापित करेगी जो "उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि" कही जायेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के समतुल्य धनराशि, उक्त निधि में जमा की जायेगी।"

धारा 9 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 9 में,

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (दो) और (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :—

"(दो) धारा 4 की उपधारा (1—क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक वर्ष के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक वर्ष के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।

(तीन) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन संदेय कर मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक त्रैमास के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक त्रैमास के प्रथम कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

(दो) खण्ड (चार) में,—

क—उपखण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) धारा 4 की उपधारा (2—क) के अधीन संदेय कर, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन यान के रजिस्ट्रीकरण के समय एक कैलेण्डर माह के लिये अग्रिम में और तत्पश्चात् अगले अनुवर्ती प्रत्येक कैलेण्डर माह के पन्द्रह तारीख को या उसके पूर्व संदेय होगा।"

ख—उपखण्ड (ख) में शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन संदेय अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4-क के अधीन देय विशेष कर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (3) में शब्द "देय धनराशि के पच्चीस प्रतिशत से अनधिक" के स्थान पर शब्द "देय धनराशि से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

11—मूल अधिनियम की धारा 10 में, — धारा 10 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(क) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तर प्रदेश के बाहर हो, मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन दिये गये अस्थायी परमिट के अधीन कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में धारा 4 के अधीन उत्तर प्रदेश में इसके उपयोग और ठहरने के लिये कर का भुगतान न कर दिया गया हो।"

(दो) खण्ड (ख) में शब्द "धारा 5 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "तृतीय अनुसूची के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट दर" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर" रख दिये जायेंगे।

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "धारा 6 के अधीन अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "धारा 4 के अधीन कर" रख दिये जायेंगे और शब्द "चतुर्थ अनुसूची के अनुच्छेद पांच के उपखण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(चार) खण्ड (ग) में परन्तुक निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जायेगी।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "देय कर या अतिरिक्त कर के दस गुने के बराबर" के स्थान पर शब्द "देय कर के पांच गुने के बराबर" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (3) में परन्तुक में शब्द "इस धारा के अधीन कर और अतिरिक्त कर" के स्थान पर शब्द "इस धारा के अधीन कर" रख दिये जायेंगे।

(ङ) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के साथ या उनके मध्य हुये करार के अनुसार दिये गये परमिट के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अनन्य रूप से चलाये जाने वाले मोटर टैक्सी (सी०एन०जी० संचालित) के सम्बन्ध में कर संदेय नहीं होगा।"

12—मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :— — धारा 11 का संशोधन

प्रथम बार के दायित्व पर देय धनराशि — "इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उपबन्धित के सिवाय किसी परिवहन यान के सम्बन्ध में जब किसी कैलेण्डर माह के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार कोई कर देय होता है तो धारा 4 के अधीन देय कर प्रत्येक कैलेण्डर माह या उसके भाग, जिसके सम्बन्ध में कर देय है, के लिये समुचित तिमाही कर का एक तिहाई या समुचित वार्षिक कर का बारहवाँ भाग होगा।"

13—मूल अधिनियम की धारा 12 में,— — धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) शब्द "तिमाही कर की दर के एक तिहाई" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति, तिमाही कर के एक तिहाई या वार्षिक कर के बारहवें भाग" रख दिये जायेंगे।

(दो) विद्यमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु अग्रतर यह कि जहां धारा 4 की उपधारा (1–क) के अधीन किसी मोटरयान के लिये एक बार-देय कर भुगतान कर दिया गया है वहां ऐसे यान के सम्बन्ध में प्रत्येक माह के लिये 1/120 के समतुल्य धनराशि वापस की जायेगी।"

(ख) उपधारा (2) में, परन्तुक में शब्द और अंक "कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन देय शास्ति का भी देनदार होगा" के स्थान पर शब्द "कर और अतिरिक्त कर का देनदार होगा मानो उक्त दस्तावेज अभ्यर्पित नहीं किये गये थे और कर और अतिरिक्त कर के पांच गुना देय शास्ति का भी देनदार होगा" रख दिये जायेंगे।

(ग) उपधारा (3) में शब्द "परिवहन यान से भिन्न ऐसे मोटरयान" के स्थान पर शब्द "मोटरयान" रख दिये जायेंगे और शब्द "द्वितीय अनुसूची के भाग 'क' में विनिर्दिष्ट दरों पर ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा" के स्थान पर शब्द "ऐसे कर की वापसी का हकदार होगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये" रख दिये जायेंगे।

(घ) उपधारा (5) में शब्द, "द्वितीय अनुसूची के भाग–ख' में विनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।

(ङ) उपधारा (7) में शब्द और अंक "यथास्थिति धारा 5 या 6 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 6 के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 15 का संशोधन

14–मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(क) पार्श्वांकित शीर्षक में शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र" रख दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "टोकन" के स्थान पर शब्द "प्रमाण–पत्र" रख दिया जायेगा।

(ग) उपधारा (2) में शब्द और अंक "धारा 5 या 6 के स्थान पर" शब्द और अंक "धारा 6" रख दिये जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

15–मूल अधिनियम की धारा 18 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक "धारा 12 के अधीन" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 4, धारा 6 एवं धारा 12 के अधीन" रख दिये जायेंगे।

धारा 20 का संशोधन

16–मूल अधिनियम की धारा 20 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात:–

"(3) कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष के कर और अतिरिक्त कर और शास्ति के बकायों के लिये यथास्थिति स्वामी या प्रचालक से यथाविहित प्रपत्र में मांग करेगा, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति, यदि कोई हो, सम्मिलित होंगे।"

धारा 22 का संशोधन

17–मूल अधिनियम की धारा 22 में शब्द "परिवहन यान" जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द "मोटर यान" रख दिये जायेंगे।

अनुसूचियों का निकाला जाना

18–मूल अधिनियम की सभी अनुसूचियां निकाल दी जायेंगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2009

19–(1) उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राज्य में मोटर यानों पर कर का अधिरोपण करने और किराये के लिए यात्रियों तथा माल के परिवहन में लगे हुए मोटर यानों पर अतिरिक्त कर का अधिरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम को जन सामान्य के लिए और अधिक उपयोगी और तर्कपूर्ण तथा कराधान को और अधिक सरल बनाये जाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया कि मुख्यतः मोटर यानों पर कर का अधिरोपण ऐसी दर पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, किये जाने, वाणिज्यिक यानों के सम्बन्ध में अतिरिक्त कर को कर में सम्मिलित किये जाने, किसी यान या यानों के वर्ग को अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन या उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर के भुगतान से छूट दिए जाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने, विशेष अवसरों पर यात्रियों के यातायात हेतु जारी किये गये अस्थायी परमिट से आच्छादित सार्वजनिक सेवा यानों पर विशेष कर का उद्ग्रहण किये जाने और कर तथा उसकी दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में अधिनियम की अनुसूचियों को निकाले जाने की व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 08 जून, 2009 को उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2009) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1184(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka) 13-2009
Dated Lucknow, August 20, 2009

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motaryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 19, 2009.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2009
[U.P. ACT NO. 180 OF 2009]

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2009.

(2) It shall come into force on such date, as the State Government may by notification in the *Gazette*, appoint.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997, hereinafter referred to as the principal Act, –

(1) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely :–

(a) "additional tax" means a tax imposed under section 6.

(2) *for* clause (j), the following clause shall be *substituted*, namely :–

(j) "quarter" means a period of three calendar months commencing on the first day of any calendar month.'

(3) *after* clause (k) the following clause shall be *inserted*, namely :–

(k-1) "special tax" means a tax imposed under section 4A.

Amendment of section 3-

3. In section 3 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *for* the words "motor vehicles operating in furtherance of any educational, medical, philanthropic or other public purpose", the words "motor vehicles" shall be *substituted*.

(b) sub-section (2) shall be *omitted*.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1),–

(i) *for* the words "as specified in Part 'B' of the First Schedule", the words "as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *substituted*.

(ii) *for* the existing proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:

"Provided that in respect of an old motor vehicle in stead of a one time tax, annual tax applicable to such motor vehicle as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette* may be paid."

(b) *after* sub-section (1) the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(1-A) Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder no three wheeler motor cab and goods carriage having gross vehicle weight not exceeding 3000 Kilograms, shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless yearly tax at such rate of such motor vehicle, as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*, has been paid in respect thereof:

Provided that in respect of a motor vehicle under this sub-section in lieu of yearly tax such amount of one time tax may be payable as specified by the State Government by notification in the *Gazette*."

(c) *for* sub-sections (2) and (3) the following sub-sections shall be *substituted*, namely :–

"(2) Save as otherwise provided by or under this Act no goods carriage other than those specified in sub-section (1-A), construction equipment vehicles, specially designed vehicles, motor cab (other than three wheeler motor cab), maxi cab and public service vehicles owned or controlled by the State Transport Undertaking, shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a quarterly tax at the rate applicable to such motor vehicle as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*, has been paid in respect thereof:

Provided that in respect a motor vehicle under this sub-section instead of quarterly tax, an yearly tax at such rate as may be specified by the State Government may be payable."

(d) *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :–

"(2-A) Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle other than those referred in sub-section (1-A) and sub-section (2) shall be used in any public place in Uttar Pradesh unless a monthly tax at such rate as may be notified by the State Government is paid in respect thereof:

Provided that in respect a motor vehicle under this sub-section instead of monthly tax, a quarterly or an yearly tax at such rate as may be notified by the State Government may be payable.

(2-B) Where any reciprocal agreement relating to taxation of goods carried by road is entered into between the Government of Uttar Pradesh and any other State Government or a Union Territory, the levy of tax under sub-section (1-A) or sub-section (2) shall, notwithstanding anything contained in the said sub-section, be in accordance with the terms and conditions of such agreement:

Provided that the tax so levied shall not exceed the tax which would otherwise been levied under the Act."

(3) Where any motor vehicle other than a transport vehicle is found plying as a transport vehicle, such tax therefore as may be notified by the State Government, shall be payable."

(e) sub-section (4) shall be *omitted*.

5. *After* section 4 the following section shall be *inserted*, namely :– Insertion of new section 4-A

"4-A. Save as otherwise provided by or under this Act no public service vehicle covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, such as to and from fair and religious gatherings or to carry marriage parties, tourist parties or such other reserved parties by whatever name called shall be operated in public place in Uttar Pradesh unless in addition to tax under section 4, the special tax at such rate as may be notified by the State Government has been paid in respect thereof."

Levy of special tax in respect of certain Vehicles

6. Section 5 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 5

7. *For* section 6 of the principal Act the following section shall be *substituted*, namely :– Amendment of section 6

"6. Save as otherwise provided in this Act or the rules made thereunder, no public service vehicle owned or controlled by State Transport Undertaking shall be operated in any public place in Uttar Pradesh unless an additional tax as may be notified by the State Government in addition to tax payable under section 4 has been paid in respect thereof."

8. Section 7 of the principal Act shall be *omitted*. Omission of section 7

"(1) For the purpose of providing relief to the passengers or other persons, suffering casualty in any accident in which a public service vehicle is involved, or to heirs of such passengers or other persons, the State Government shall establish a fund to be known as the Uttar Pradesh Road Transport Accident Relief fund. The amount equivalent to two per cent of the tax levied under section 4 and two per cent of the additional tax levied under section 6 shall be credited to the said fund."

Amendment of section 9

10. In section 9 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1),–

(i) *for* clauses (ii) and (iii) the following clauses shall be *substituted*, namely :–

"(ii) the tax payable under sub-section (1-A) of section 4, shall be payable in advance for one year at the time of the registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before be fifteenth day of the first calendar month of the each year next following.

(iii) the tax payable under sub-section (2) of section 4 shall be payable in advance for one quarter at the time of registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of the first calendar month of the each quarter next following."

(ii) in clause (iv),–

A-*for* sub clause (a) the following sub-clause shall be *substituted*, namely :–

"(a) the tax payable under sub-section (2-A) of section 4 shall be payable in advance for one calendar month at the time of registration of the vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988 and thereafter on or before the fifteenth day of each calendar month next following.""

B- in sub-clause (b) *for* the words and figure "the additional tax payable under section 6" the words and figure "the special tax payable under section 4A" shall be *substituted*.

(b) In sub-section (3) *for* the words "not exceeding twenty five per cent of the due amount" the words "not exceeding the due amount" shall be *substituted*.

Amendment of section 10

11. In section 10 of the principal Act,–

(a) in sub-seciton (1),–

(i) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted* namely:–

"(a) under a temporary permit granted under the Motor vehicles Act, 1988 by an authority having jurisdiction outside Uttar Pradesh unless there has been paid in respect thereof a tax under section 4 for its use or stay in Uttar Pradesh."

(ii) in clause (b) *for* the words "an additional tax under section 5" the words "a tax under section 4" shall be *substituted* and for the words" at the rate specified in clause (b) of the third Schedule" the words "at the rate specified by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *substituted*.

(iii) in clause (c) *for* the words "additional tax under section 6" the words "a tax under section 4" shall be *substituted* and for the words "specified in sub-clause (b) of Article V of the Fourth Schedule" the words "specified by the State Government by Notification in the *Gazette*" shall be *substituted*.

(iv) in clause (c) the proviso shall be *omitted*.

(b) sub-section (2), shall be *omitted*.

(c) in sub-section (3) *for* the words "equivalent to ten times of the due tax or additional tax" the words "equivalent to five times of the due tax" shall be *substituted*.

(d) in sub-section (3), in the proviso, *for* the words, "the tax and additional tax under this section" the words "the tax under this section" shall be *substituted*.

(e) *after* the existing proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided further that the tax under this section shall not be payable in respect of motor cabs (CNG operated) plying exclusively with the limits of National Capital Region under the permit granted as per agreement entered into with the Governments of Utttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and the National Capital Territory of Delhi."

12. *For* section 11 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:– Amendment of section 11

"11. Save as otherwise provided by or under this Act when, in respect of a transport vehicle, the tax becomes payable for the first time after the commencement of any calendar month, the tax payable under section 4 shall be one third of the appropriate quarterly tax or one twelfth of the appropriate yearly tax for each calendar month or part thereof in respect of which the tax is payable." (Amount payable on liability occurring for the first time)

13. In section 12 to the principal Act, Amendment of section 12

(a) in sub-section (1),–

(i) *for* the words "one third of the rate of quarterly tax" the word "one third of the quarterly tax or one twelfth of the yearly tax, as the case may be" shall be *substituted*.

(ii) *after* the existing proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :

"Provided further that where one time tax has been paid for a motor vehicle under sub-section (1-A) of section 4, the amount equivalent to 1/120 for each month shall be refunded in respect of such vehicle."

(b) in sub-section (2), in the proviso, *for* the words and figures "the tax as if the documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty payable under sub-section (3) of section 9" the words "the tax and the additional tax as if the documents were not surrendered and shall also be liable to the penalty equivalent to five times of the tax and additional tax" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (3) *for* the words "motor vehicle other than the transport vehicle" the words "a motor vehicle" shall be *substituted* and *for* the words "such tax at the rate specified in Part 'A' of the Second Schedule" the words "such tax as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *substituted*;

(d) in sub-section (5) *for* the words "specified in Part 'B' of the Second Schedule" the words "specified by the State Government by notification in the *Gazette*" shall be *substituted*;

(e) in sub-section (7) *for* the words and figures "under section 5 or as the case may be under section 6" the words and figure "under section 6" shall be *substituted*.

14. In section 15 of the principal Act. Amendment of section 1[illegible]

(a) in the marginal heading, *for* the word "token" the word "certificate" shall be *substituted*;

(b) in sub-section (1) *for* the word "token" the word "certificate" shall be *substituted*;

(c) in sub-section (2) *for* the words and figures "in section 5 or section 6" the word and figure "section 6" shall be *substituted*.

Amendment of section 18

15. In section 18 of the principal Act, in sub-seciton (1), *for* the words and figures "under section 12" the words and figures "under section 4, section 6 and section 12" shall be *substituted*.

Amendment of section 20

16. In section 20 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be *inserted*, namely :-

"(3) The Taxation Officer shall raise a demand in the form as may be prescribed from the owner or operator, as the case may be, for the arrears of tax and additional tax and penalty of each year, which shall also include the arrears of tax, additional tax or penalty, if any, of preceding years.

Amendment of section 22

17. In section 22 of the principal Act, *for* the words "a transport vehicle" wherever occurring the words "a motor vehicle" shall be *substituted*.

Omission of Schedules

18. All the Schedules to the principal Act shall be *omitted*.

Repeal and saving

19. (1) The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordinance, 2009 is hereby repealed. U. P. Ordinance no. 3 of 2009

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been enacted to provide for the imposition of tax in the state on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire. With a view to making the said Act more useful to the general public and rational and for making taxation more simple it was decided to amend the said Act mainly to provide for imposition of tax on motor vehicles at such rate as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette*, inclusion of additional tax in the tax with respect to commercial vehicles, empowering the State Government to exempt any vehicle or clause of vehicles from the operation of provisions of the Act of payment of any tax under the Act, levy of special tax on public service vehicles covered by temporary permit issued for the conveyance of passengers on special occasions, omitting the Schedules to the Act relating to the tax and prescribing the rates thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Ordiance, 2009 (U.P. Ordinance no. 3 of 2009) was promulgated by the Governor on June 8, 2009.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
P.V. KUSHWAHA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–479 राजपत्र (हि०)–2009–(1004)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

डा० नूर मुहम्मद
सदस्य सचिव

Dr. Noor Mohammad
Member Secretary

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

National Capital Region Planning Board

D.O. No.K-14011/29/2007-NCRPB (Vol. XI) Dated: 11.01.10

Dear

As you are aware that "Reciprocal Common Transport Agreement among Governments of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of vehicles in NCR" for "Contract Carriage" has been signed and notified by all the constituent States of NCR in their respective Gazette, but its implementation is very slow. The issue of colour coding has been resolved now, but still taxi operators are not coming for obtaining NCR permits under the Reciprocal Transport Agreement. It seems that the highlight of agreement namely removal of passenger or road tax by NCR States for operations in NCR is not publicized among the taxi operators. Since your State has also notified the tax exemption notification, there is a need to publicize it for increasing the awarness among taxi operators and public.

In the light of above, you are requested to publicize the Tax Exemption Notifications for NCR for Contract Carriage Vehicles by NCR States. Copies of notification of exemption of additional passenger tax by various States are enclosed. These may also be uploaded on your website.

Best regards,

Yours sincerely,

Encls.: As above

(Dr. Noor Mohammad)
o/c

Shri Pankaj Agrawala
Principal Secretary, Transport
Transport Department
UP Secretariat, Lucknow
Uttar Pradesh

Shri Samir Mathur
Financial Commissioner and Principal Secretary (Transport)
Govt. of Haryana
Room No. 41, 7th floor
Haryana Civil Secretariat, Sector 1
Chandigarh

Shri Madhukar Gupta
Principal Secretary, Transport
Govt. of Rajasthan
Parivahan Bhavan, Sahankar Marg
Jaipur

कोर–IV बी, प्रथम तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 दूरभाष : कार्यालय

डा0 नूर मुहम्मद
सदस्य सचिव

Dr. Noor Mohammad
Member Secretary

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
National Capital Region Planning Board

D.O. No.K-14011/29/2007-NCRPB (Vol. XI) Dated: 11.01.10

Dear

As you are aware that "Reciprocal Common Transport Agreement among Governments of Delhi, Haryana, Rajasthan and Uttar Pradesh for unrestricted movement of vehicles in NCR" for "Contract Carriage" has been signed and notified by all the constituent States of NCR in their respective Gazette, but its implementation is very slow. The issue of colour coding has been resolved now, but still taxi operators are not coming for obtaining NCR permits under the Reciprocal Transport Agreement. It seems that the highlight of agreement namely removal of passenger or road tax by NCR States for operations in NCR is not publicized among the taxi operators.

In the light of above, you are requested to publicize the Tax Exemption Notifications for NCR for Contract Carriage Vehicles by NCR States. Copies of notification of exemption of additional passenger tax by various States are enclosed. These may also be uploaded on your website.

Best regards,

Yours sincerely,

(Dr. Noor Mohammad)
o/c

Encls.: As above

Shri R. K. Verma,
Pr. Secretary-cum-Commissioner (Transport)
Govt. of NCT-Delhi
5/9, Under Hill Road
Delhi – 110 054
Fax No. 011-2393 3069

कोर-IV बी प्रथम तल भारत पर्यावास केन्द्र लोधी रोड नई दिल्ली-110003 दूरभाष : कार्यालय.:011-24640295 फैक्स.:011-24642163